

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**

पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

25 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025

19.03.2025

25.04.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन निवासी इन्द्रा कॉलोनी गुलजार बाग टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ/विक्रेता मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क प्रोसेस ब्रज विहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 9828181700।
- 2-श्रीमति विजय लक्ष्मी जैन पत्नि श्री प्रदीप कुमार जैन निवासी इन्द्रा कॉलोनी गुलजार बाग टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क प्रोसेस ब्रज विहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक राज0। मोबाईल नं0 9828181700।
- 3-मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क प्रोसेस ब्रज विहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री प्रदीप कुमार जैन उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 25/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2024 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स वर्धमान मिल्क प्रोसेस ब्रज विहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री वर्धमान मिल्क प्रोसेस ब्रज विहार कॉलोनी सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर श्रीमति विजय लक्ष्मी जैन को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।



*DDL*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में प्लास्टिक की एक बाल्टी में लगभग 20 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन को गवाह केसामने फार्म नं० 5 ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह पनीर वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान में प्लास्टिक की एक बाल्टी में रखे लगभग 20 किलोग्राम पनीर में से कुल 1 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1किलोग्राम पनीर को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर 250-250 ग्राम प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4178 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को खाकी कागज से अच्छी तरह लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई-4178 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज० जयपुर को जमा करवाकर रशीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1547 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/4459/एक्ट/2024/4294 दिनांक 11.11.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया पनीर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी प्रदीप कुमार जैन उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा



adl  
प्रतिवेदित जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस पनीर का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त पनीर जांच में अवमानक(Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया पनीर का नमूना जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आचर दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(रामरतन साँकरिया)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

टोंक-राज0